

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की लीगल एड डिफेंस काउन्सल सिस्टम मोडिफाईड योजना, 2022 के अनुक्रम में मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या 283/यू0के0एस0एल0एस0ए0/2026 दिनांकित 10.02.2026 के अनुपालन में जनपद बागेश्वर के लिए उक्त योजना के तहत असिस्टेण्ट लीगल एड डिफेंस काउन्सल चयनित किया जाना है, जिसके चयन के सम्बन्ध में महोदय के द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव दिनांकित 12.02.2026 के अनुक्रम में वांछित विज्ञप्ति दिनांक 13.02.2026 समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित कर दिनांक 23.02.2026 तक इच्छुक अधिवक्तागण से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। वांछित विज्ञप्ति की प्रति जिला न्यायालय, बागेश्वर तथा सिविल न्यायालय, गरुड़ के सूचना पट पर भी चरपा की गई।

दिनांक 23.02.2026 की सायं तक उपरोक्त पद हेतु निम्नलिखित 07 आवेदन पत्र इस प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं—

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	पंजीकरण वर्ष
01	श्री अजेन्द्र सिंह कोरंगा	2023
02	श्री मयंक चौबे	2024
03	श्री दिव्य चन्द्र	2021
04	श्री हेम चन्द्र सिंह	2022
05	सुश्री रंजना सिंह	2012
06	श्री ओमवीर	2024
07	सुश्री रूमी अंसारी	2018

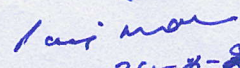
महोदय असिस्टेण्ट लीगल एड डिफेंस काउन्सल का चयन लीगल एड डिफेंस काउन्सल सिस्टम मोडिफाईड स्कीम, 2022 सपटित NALSA (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 (2019 के संशोधन के द्वारा संशोधित) के अनुसार मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली चयन समिति के द्वारा किया जाना है। उपरोक्त वर्णित दोनों ही नालसा स्कीम के संयुक्त अध्ययन के आधार पर चयन समिति निम्नतः प्रस्तावित की जाती है—

1. श्रीमान् जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर (अध्यक्ष)।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर (सदस्य)।
3. जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, बागेश्वर (सदस्य)।

चूंकि उक्त चयन, सम्बन्धित अभ्यर्थी के विधिक ज्ञान, कौशल, न्यायालय में अभ्यास एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए, गुणदोष पर किया जाना है इसलिए महोदय की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त वर्णित समिति के समक्ष उक्त अभ्यर्थीगण का साक्षात्कार/संविक्षा के लिए दिनांक 26.02.2026 की तिथि प्रस्तावित की जाती है। महोदय अनुमादेन करना चाहें।

अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत।


सचिव, 24.02.26

Approved

24-2-26